न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 20/2019

1 इन्द्राज पुत्र कासीराम जाति जाट निवासी डूंगराना त0 भादरा।

– सायल

बनाम

1. महावीर पुत्र कासीराम जाति जाट निवासी डूंगराना त0 भादरा।
2. शंकर पुत्र कासीराम जाति जाट निवासी डूंगराना त0 भादरा।
3. महेन्द्र पुत्र कासीराम जाति जाट निवासी डूंगराना त0 भादरा।

– गैरसायलान

दरख्वास्त अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत

उपस्थिति : वकील श्री कपूरचंद शर्मा– **सायल**

वकील श्री रामस्वरूप देहडू – **गैरसायलान**

निर्णय

दिनांक : 12-04-2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा डूंगराना के खाता सं0 214/210 के खसरा सं0 394 की 2.2765है0, खसरा सं0 399 की 3.4515है0, खसरा सं0 617/1 की 1.037है0 कुल 6.766है0 व खाता सं0 215/209 के खसरा सं0 169 की 2.2760है0 बारानी भूमि में सायल व गैरसायल सं0 1 से 3 की संयुक्त खाता की भूमि है।

खसरा सं0 394 व खसरा सं0 399 की भूमि के बीच में से साहवा भादरा पक्की सडक निकली हुई हैं तथा खसरा सं0 399 के उतरी भाग में से रासलाना वितरिका निकली हुई है। जिससे खसरा सं0 399 की भूमि के पश्चिक की ओर भाग में रासलाना वितरिका से पक्की मोरी सिंचाई हेतू निकली हुई है जिससे सिंचाई होती है। चूंकि पक्षकारान अपने अपने हिस्से के मुताबिक प्रत्येक खसरे में भूमि काश्त करते है। परन्तु गैर सायलान ताकत व बल के आधार पर प्रत्येक खसरा की भूमि में सायल को काश्त करने में बाधा व दखल पहुंचाने की एलानिया तौर पर धमकी देते रहते है। पक्षकारान का खाता संयुक्त है इसलिए सायल दोनों खातो की भूमि में से अपना हिस्सा की भूमि का अच्छी में से अच्छी व मंदी में से मंदी का खाता विभाजन करवा पाने का कानूनी अधिकारी है।

अत : सायल गैरसायलान के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है कि वह खाता विभाजन होने से पूर्व वाद भूमि सायल के हिस्से की भूमि प्रत्येक खसरा की भूमि में उसके कब्जा काश्त में कोई दखल अंदाजी व बाधा स्वयं व अपने आदमियों द्वारा नहीं पहुंचावे। एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाऐ रखें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया नोटिस तामील होने के उपरान्त गैरसायल सं0 1 ता 3 ने जबाव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अतिरिक्त कथन किया कि पक्षकारान ने आज से 15–16 साल पूर्व रिश्तेदारों व भाईयों के बीच बैठकर पंचायती तौर पर वादग्रस्त भूमि का वाहमी बंटवारा कर लिया थां जिसमें सायल ने खसरा न0 169 में 96 हिस्सा व शेष अपने हिस्से की समस्त कृषि भूमि खसरा सं0 394 की मामचंद के हि[illegible] के पश्चिमी किनारे से पूर्व पश्चिम लाईन में शेष कृषि भूमि अपने हिस्से [illegible] इसी अनुसार सायल अपने सींव डोल अलग बना रखें है तथा [illegible] रहा है। तथा गैरसायलान ने अपने हिस्से की कृषि [illegible] के लिए लाखों रूपये खर्च कर सिचांई हेतु टयूबवेल व पाईप लाईन की व्यवस्था की है। अतः जबाव दरख्वास्त मय शपथ पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र सा[illegible] सव्यय खारिज फरमाया जावे।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। वकील सायल ने कथन किया कि भूमि दादालाई है। रोही मोजा डूंगराना के खाता सं0 214/210 के खसरा सं0 394 की 2.2765है0, खसरा सं0 399 की 3.4515है0, खसरा सं0 617/1 की 1.037है0 कुल 6.766है0 व

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.24 10:37:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

खाता सं0 215/209 के खसरा सं0 169 की 2.2760है0 बारानी भूमि में सायल व गैरसायल सं0 1 से 3 की संयुक्त खाता की भूमि है। जिसमें सायल के हिस्से की भूमि प्रत्येक खसरा की भूमि में उसकी कब्जा काश्त में कोई दखल व बाधा स्वयं व अपने आदमियों द्वारा नहीं करें। तथा जब तक मूल वाद का निर्णय अच्छी मंदी के हिसाब से वादग्रस्त भूमि का विभाजन ना हो तब तक ताफैसला गैर सायलान को पाबंद किया जावे। वकील गैर सायलान द्वारा कथन किया कि पक्षकारान ने आज से 15–16 साल पूर्व रिश्तेदारों व भाईयों के बीच बैठकर पंचायती तौर पर वादग्रस्त भूमि का बाहमी बंटवारा कर लिया थां जिसमें सायल ने खसरा न0 169 में 96 हिस्सा व शेष अपने हिस्से की समस्त कृषि भूमि खसरा सं0 394 की मामचंद के हिस्से के चिपते हुए उतरी तरफ सडक के पश्चिमी किनारे से पूर्व पश्चिम लाईन में शेष कृषि भूमि अपने हिस्से में ली। तथा इसी अनुसार सायल अपने सींव डोल अलग बना रखें है तथा बिना किसी बाधा के काश्त करता चला आ रहा है। तथा गैरसायलान ने अपने हिस्से की कृषि भूमि को समतल एवं उपजाऊ बनाने के लिए लाखों रूपये खर्च कर सिचांई हेतु ट्यूबवेल व पाईप लाईन की व्यवस्था की है। अतः जबाब दरख्वास्त मय शपथ पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र सायल सव्यय खारिज फरमाया जावे।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। हमने प्रार्थना पत्र सायल, जवाब प्रार्थना पत्र गैरसायलान, उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात यथा जमाबंदी, शपथ पत्र का अध्ययन किया। हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दूओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है।

1 **प्रथम दृष्टया मामला**:–प्रथम दृष्टया मामला का तात्पर्य यह है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थीगण को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त है चूंकि उपर्युक्त विवेचन शपथ पत्रों एवं दस्तावेजों से स्पष्ट है कि सायल वाद भूमि का सह खातेदार है तथा उक्त दोनों खातों में प्रत्येक खसरा में काश्त करता है। सायल ने वादग्रस्त भूमि का अच्छी व मंदी के हिसाब से विभाजन हेतु दावा किया है। चूंकि विवादित भूमि रोही मोजा डूंगराना के खाता सं0 214/210 के खसरा सं0 394 की 2.2765है0, खसरा सं0 399 की 3.4515है0, खसरा सं0 617/1 की 1.037है0 कुल 6.766है0 व खाता सं0 215/209 के खसरा सं0 169 की 2.2760है0 बारानी खातेदारी में भूमि बंटवारा व अलग लगान कायम कराने हेतु सायल का वाद हाजा न्यायालय में विचाराधीन है। अतः प्रथम दृष्टया उक्त प्रार्थना पत्र सायल के पक्ष में बखूबी साबित होता है तथा गैरसायलान इसे अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहे है।

2 **सुविधा का संतुलन**:– अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में सुविधा का संतुलन एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण घटक है। इसका सामान्य तात्पर्य यह है कि यानि हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नहीं दिया तो सायल को अधिकतम असुविधा होगी या नहीं। चुंकि उक्त प्रकरण प्रथम दृष्टया सायल के पक्ष में साबित हो चुका है साथ ही गैरसायलान ने यह प्रस्तुत नहीं किया कि उक्त आराजी खाता व लगान अलग अलग कायम किया हुआ है यदि गैरसायलान वादग्रस्त आराजी में सायल के हिस्से की भूमि पर सडक व रासलाना वितरिका के चिपते हुए कब्जा कर लेते है तो सायल को असुविधा होगी। अतः वादग्रस्त आराजी के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्रों, दस्तावेजों के आधार पर तथा प्रथम दृष्टया मामला भी पक्ष में साबित होने से सुविधा का संतुलन भी सायल के पक्ष में और गैरसायलान के खिलाफ साबित होता है।

3 **अपूर्णीय क्षति**:– उक्त प्रार्थना पत्र [illegible] सुविधा का संतुलन दोनों सायल के पक्ष में साबित हुए है। चुंकि प्रार्थीगण [illegible] उक्त विवादित भूमि में अपने हिस्से का खाता विभाजन व [illegible] में विचाराधीन है। यदि उक्त प्रकरण में सायल को [illegible] द्वारा किसी प्रकार के रिकार्ड में परिवर्तन करने व सायल के हिस्से में [illegible] काश्त में दखल अंदाजी से सायल को अपूर्णीय क्षति हो सकती है।

अतः हमारा विनम्र अभिमत है कि सायल के पक्ष में तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूर्णीय क्षति बखूबी साबित होने के कारण मूल वाद का

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) भा...

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.24 10:37:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

निस्तारण होने तक अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

कियात्मक आदेश

अतः उपयुर्क्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र सायल अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 धारा 212 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा भलीभांति साबित होने से स्वीकार किया जाता है और अस्थाई निषेधाज्ञा बहक सायल विरूद्व गैरसायलान इस आशय की पारित किया जाती है कि रोही मोजा डूंगराना के खाता सं0 214/210 के खसरा सं0 394 की 2.2765है0, खसरा सं0 399 की 3.4515है0, खसरा सं0 617/1 की 1.037है0 कुल 6.766है0 व खाता सं0 215/209 के खसरा सं0 169 की 2.2760है0 बारानी कृषि भूमि में सायल के हिस्से में उसकी कब्जा काश्त में कोई दखल व बाधा स्वयं व अपने आदमियों द्वारा ताफैसला ना करें

निर्णय आज दिनांक 12-04-2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(सत्यनारायण)
(फास्ट ट्रैक) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.24 10:37:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner